<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0–538/2026</u>

<u>CNR No.UPGD010016122026</u>

बलराज यादव आयु करीब 65 वर्ष पुत्र दिलेराम यादव, निवासी ग्राम–छगड़ियन पुरवा मौजा नरायनपुर माझा, थाना–कोतवाली करनैलगंज, जिला–गोण्डा।

––––––––––प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– अभियोगी।

मु0अ0सं0–364/2025,
धारा–87, 137(2), 64(2)एम, 351(3), 115(2), 143(4), 98, 99, 61(2) बीएनएस व
धारा–5एल/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट
<u>थाना–कोतवाली करनैलगंज, जिला गोण्डा।</u>

<u>दिनांक–31.03.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त बलराज यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–364/2025, धारा–87, 137(2), 64(2)एम, 351(3), 115(2), 143(4), 98, 99, 61(2) बीएनएस व धारा–5एल/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक के पैरोकार फूलचन्द्र यादव द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–करनैलगंज, जनपद–गोण्डा में प्रस्तुत की गयी कि उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष, जिसको विपक्षी अजीत यादव उर्फ दद्दू पुत्र बलीराज यादव निवासी ग्राम छगडियन पुरवा नरायनपुर मांझा थाना कोतवाली करनेलगंज जिला गोण्डा दिनांक 07.09.2025 को समय करीब सुबह 10:00 बजे बहला फुसलाकर विवाह करने की मंशा से घर से भगा ले गया है। प्रार्थी काफी खोज बीन किया परन्तु उसकी पुत्री का कही पता नहीं चला है। प्रार्थी को विपक्षी द्वारा कई बार धमकी भी दिया गया है कि यदि मेरे खिलाफ कुछ भी करोगे तो मैं तुमको जान से मरवा दूंगा। प्रार्थी के साथ कोई भी घटना विपक्षी द्वारा घटाया जा सकता है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जावे।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अजीत यादव उर्फ दद्दू के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–87, 137(2) बीएनएस थाना–करनैलगंज, जनपद–गोण्डा में पंजीकृत की गई। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त नाम प्रकाश में लाया गया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है, कथित अपराध आवेदक/अभियुक्त द्वारा कतई

Digitally signed by NIRBHAY PRAKASH
Date: 2026.04.02 15:30:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कारित नहीं किया गया है, न हीं आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध के बारे में कोई जानकारी ही रही है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित भी नहीं रहा है और उसका अजीत यादव से भी कोई मतलब नहीं रहा है। वह अलग बाहर रह रहा है। आवेदक/अभियुक्त एक अति वृद्ध व्यक्ति है, मात्र अजीत यादव का पिता होने के नाते मुकदमा उपरोक्त में फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयानातों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कथित जुर्म आयद नहीं होता है। कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त के संलिप्त होने का कोई साक्ष्य अथवा बयान केस डायरी में अंकित नहीं है और न ही स्वतन्त्र साक्षी का बयान ही दर्शित है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रथम सूचक/वादी मुकदमा को नोटिस भेजी गयी, नोटिस बाद तामीला संलग्न पत्रावली है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त नामजद नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा **180** बीएनएसएस में यह कथन किया है कि ''मैं अजीत कुमार उर्फ दद्दू यादव पुत्र बलराज यादव ..... को पिछले नवम्बर से जानती हूँ, पिछले नवम्बर में अजीत मेरे घर के पास काम करने आया था। कुछ दिन बाद अजीत ने अपना मोबाइल नम्बर मुझे दिया तब हमारी फोन से बातचीत होने लगी। अप्रैल में अजीत मुझे शादी करने की बात कहकर अपने साथ लेकर चला गया था, फिर तीन–चार दिन बाद पुलिस मुझे लेकर आयी थी। ..... दिनांक 07.09.2025 को अजीत ने मुझे फोन करके बोला आओ मेरा फोन दे दो और तुम चली जाना। मैं अजीत को फोन देने अपने घ ार से बरगदी मोड़ गयी। बरगदी मोड़ से मैं बैटरी रिक्शा से बालपुर की जा रही थी और अजीत मेरे पीछे पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था। बालपुर से पहले रास्ते में सुनसान जगह पर अजीत ने बैटरी रिक्शा रोक लिया और मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कुछ दूर ले गया फिर मैंने उसका मोबाइल दे दिया तो अजीत ने मुझे कहा चलो तुम्हें कटरा वाले रास्ते से बहराइच मोड छोड़ दूंगा। फिर अजीत ने मुझे बाइक से विशेश्वरगंज अपनी बुआ के घर ले गया। ... वहां पर अजीत ने मुझे एक दिन और एक रात रखा और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए। अगले दिन अजीत के पापा बलराज यादव और भाई गुड्डू यादव विशेश्वरगंज अपनी बाइक से आए और मुझे तथा मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिए और बोले जैसा अजीत कह रहा है वैसा करो। फिर अजीत ने मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर और अजीत के पापा और भाई अपनी बाइक से बहराइच गए। वहां से अजीत मुझे बस से पंजाब ले गया।..... अजीत वहां जबरदस्ती मेरे साथ

शारीरिक सम्बन्ध बनाता था, मना करने पर मुझे बेल्ट से, वाइपर से और कल्छुल से मारता था। मेरा गला दबाता था। लगभग एक महीना वहां रखने के बाद अजीत मुझे सोनारी लेकर गया वहां भी किसी किराए के कमरे में मुझे बन्द करके रखता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था। वहां पर भी अजीत ने मुझे दो बार जूते से मारा। फिर एक महीने बाद सोनारी में ही दूसरी जगह किराए के कमरे में ले गया। वहां अजीत मुझसे धंधा कराता था। वहीं पर मुझे अजीत ने पैसे लेकर शकील को बेंच दिया।'' पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा **183** बीएनएसएस में यह कथन किया है कि ''मैं अजीत पुत्र बलराज को नवम्बर 2024 से जानती हूँ। अजीत ने मुझे अपना फोन नम्बर दिया था।.... 19 अप्रैल 2025 को अजीत मुझे अपने घर ले गया। .....मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। मैंने अजीत से सम्बन्ध बनाने के लिए मना भी किया था लेकिन जब अजीत ने कहा कि कल अगले दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। तब फिर हम दोनों के बीच अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बने थे। .... जब मैं वन स्टाफ सेंटर पर थी तो रास्ते में अजीत और उसके पापा ने धमकी दी कि अगर जैसे जैसे हम कहेगे वैसे बयान नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई को मार देगें, मैं वेसे ही बयान दिया। ..... अगले दिन अजीत के पापा और उसके भाई गुड्डू आए और मुझसे कहा कि जैसे जैसे हम कहे वैसे करना नहीं तो तुम्हे, तुम्हारे अब्बू और भाई को मार देंगे। फिर उस दिन उसके पापा, भाई, अजीत और मुझे बाइक पर बिठाकर बहराइच ले गये।.... फिर मुझे और अजीत को बस में बिठाया। अजीत मुझे पंचाब ले गया। ... अजीत मेरे साथ रोज जोर जबरदस्ती करता था। मैं जब मना करती थी तो अजीत मुझे बेल्ट, वाईपर और चिमचा से मारते थे। ..... फिर सुनारी में ही दूसरी जगह कमरा लिया और अन्जान आदमियों को बुलवाता था और मुझसे धंधा करवाता था जब मैं मना किया तो उसने मुझे बेल्ट से मारा।..... फिर मुझे शकील के हाथ पैसे लेकर बेच दिया और मुझसे कहा कि जो मेरा उखाड़ना होगा वो उखाड लेना। ..... शकील ने भी मेरे साथ जो जबरदस्ती की। ..... अजीत ने मुझे और मेरे अब्बू को धमकी दी है कि तुम्हें, तुम्हारे अब्बू और भाई को जान से मार देंगे और तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे ताकि तुम्हारी कोई शादी ना हो। अगर मुझे, मेरे अब्बू को और मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार अजीत और उसके पिता बलराज यादव होंगे।'' न्याय पीठ बाल कल्याण समिति, गोण्डा की आख्या के अनुसार पीड़िता की उम्र घटना की तिथि पर 17 वर्ष 02 माह निर्धारित की गयी है। अर्थात पीड़िता घटना की तिथि पर अवयस्क/नाबालिग रही है। केस–डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि नाबालिग पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस में यह कथन किया है कि नाबालिग पीड़िता से वेश्यावृत्ति करायी जा रही थी व अभियुक्त की संलिप्तता के सम्बन्ध में भी नाबालिग पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अभी शेष है तथा प्रकरण विवेचनाधीन है। अर्थात साक्ष्य संकल्न शेष है। पीड़िता के साथ घटित घटना जघन्य अपराध की श्रेणी में आती है। अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में इस स्तर पर अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का

आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बलराज यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–364/2025, धारा–87, 137(2), 64(2)एम, 351(3), 115(2), 143(4), 98, 99, 61(2) बीएनएस व धारा–5एल/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना–कोतवाली करनैलगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–538/2026 **निरस्त** किया जाता है।

(निर्भय प्रकाश)
आई0डी0नं0–यू0पी0–1687
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।

दिनांक–31.03.2026